भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5501
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर योजना

5501. श्री जी. सेल्वम:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कुल कितने कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को अनुमोदित और प्रचालित किया गया है;

(ख) राज्य में लंबित क्लस्टरों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु में किसानों की आय में सुधार लाने पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) इस योजना से राज्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(च) क्या उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन या विशेष प्रावधान शुरू किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी) को कार्यान्वित्त कर रहा है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एक घटक योजना है।

अब तक, एपीसी योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य में 333.625 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 81.69 करोड़ रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत 12 परियोजनाओं में से 02 परियोजनाएं प्रचालित हो चुकी हैं, जिससे 8000 किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दर्शाया गया है

जारी क्लस्टरों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना;
ii. अद्यतन तथ्य पत्रक/साइट दौरे के माध्यम से परियोजना की स्थिति की नियमित निगरानी।
iii. कार्यान्वयनकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरणों/राज्य सरकारों से आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना;
iv. परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मुद्दे उठाना।

(ङ) से (छ): ए.पी.सी. योजना एक मांग आधारित योजना है, जिसके तहत इच्छुक उद्यमियों से समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

एपीसी की स्थापना किसी भी इकाई/संगठन जैसे सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उद्यम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/निजी क्षेत्र की कंपनियां/साझेदारी फर्म/स्वामित्व फर्म आदि द्वारा की जा सकती है।

एपीसी योजना के दिशा-निर्देशों में किसानों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आय में सुधार करना है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

i. वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों, एफपीओ, एसएचजी और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से अनुदान/सब्सिडी की तुलना में, जो सामान्य श्रेणी के आवेदकों से परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से है । यह अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन है।
ii. पात्र होने के लिए संयुक्त निवल मूल्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों, एफपीओ, एसएचजी और दुर्गम क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए योजना के तहत मांगी गई सहायता अनुदान से कम नहीं होना चाहिए, जबकि सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए अपेक्षित संयुक्त निवल मूल्य योजना के तहत मांगी गई सहायता अनुदान का 1.5 गुना है
iii. सामान्य क्षेत्रों/श्रेणी के प्रस्तावों के संबंध में कुल परियोजना लागत के 20% की तुलना में दुर्गम क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा कृषक उत्पादक संगठनों अथवा स्व-सहायता समूहों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए बैंक से सावधि ऋण और इक्विटी का निवेश भी कुल परियोजना लागत का 10% है।

अनुबंध

तमिलनाडु में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के संबंध में 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5501 में संदर्भित अनुबंध

<u>एपीसी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:</u>

क्र. सं.	परियोजना निष्पादन एजेंसी का नाम (पीईए)	जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान	जारी किया गया जीआईए	स्थिति	लाभान्वित किसानों की संख्या/ लाभान्वित होने की संभावना
1.	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	01.08.2019	16.71	4.1921	2.8566	प्रचालनरत	**4000**
2.	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	तिरुपूर	03.10.2019	26.83	8.7682	6.2284	कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	4000
3.	मैसर्स तिरुवन्नामलाई मार्केट कमेटी	तिरुवन्नामलाई	29.04.2020	25.506	5.7487	1.81084	कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	4000
4.	मेसर्स सलेम मार्केट कमेटी	सलेम	29.04.2020	25.252	5.9753	1.88222		4000
5.	मेसर्स थेनी मार्केट कमेटी	थेनी	29.04.2020	26.308	5.9955	1.88858		4000
6.	मैसर्स धर्मपुरी मार्केट कमेटी	कृष्णागिरी	29.04.2020	26.826	5.8937	1.85651		4000
7.	मेसर्स मदुरै मार्केट कमेटी	मदुरै	29.04.2020	32.066	5.7912	1.82423		4000
8.	मेसर्स डिंडीगुल मार्केट कमेटी	डिंडीगुल	29.04.2020	29.018	6.7357	2.12174		4000
9.	मेसर्स कुड्डालोर मार्केट कमेटी	कुड्डालोर	29.04.2020	25.002	5.9793	1.88348		4000
10.	मेसर्स डेल्टा फूड्स	पुदुक्कोट्टई	08.06.2020	24.3125	7.472	5.25282	प्रचालनरत	**4000**
11.	मेसर्स वामसी आरएस इंडस्ट्रियल जॉन	इरोड	17.11.2021	33.167	9.1351	0	कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	4000
12.	मेसर्स इंटीग्रेटेड सर्विस पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड	तिरुवल्लुर	28.02.2024	42.635	10	3.3333		4000

*****